भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2077

12 मार्च, 2025 के लिए प्रश्न

हड़ताल की अवधि के दौरान जनता को राशन का निर्बाध वितरण

2077. श्री राजमोहन उन्नीथन:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राशन आपूर्तिकर्ताओं की चल रही हड़ताल और ई-पीओएस सेवाओं को बंद करने के दृष्टिगत जनता को राशन का निर्बाध वितरण सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार वर्तमान हड़ताल का समाधान करने और भावी बाधाओं से बचने के लिए राशन आपूर्तिकर्ताओं को देय बकाया, जो 400 करोड़ रुपये से अधिक है, का निपटान करने में तेजी लाएगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ई-पीओएस प्रणाली की वर्तमान तकनीकी समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यारा क्या है, जो विशेष रूप से सर्वर सीमाओं के कारण सुचारू राशन वितरण में बाधा डाल रहे हैं; और

(घ) क्या सरकार का वेतन पैकेज को संशोधित करने या राशन आपूर्तिकर्ताओं/व्यापारियों को उनकी मांगों को पूरा करने और भावी हड़तालों से बचने के लिए अतिरिक्त सहायता प्रदान करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): वर्तमान में, देश में कुल 5.43 लाख उचित दर दुकानों (एफपीएस) में से लगभग 5.41 लाख (99.6%) को लाभार्थियों के बायोमेट्रिक/आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से पारदर्शी तरीके से (इलेक्ट्रॉनिक रूप से) खाद्यान्नों के वितरण के लिए ईपीओएस डिवाइस लगाकर स्वचालित कर दिया गया है। इस विभाग को राशन आपूर्तिकर्ताओं द्वारा जारी किसी हड़ताल की रिपोर्ट नहीं मिली है।

...2/-

(ख): राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) केंद्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत संचालित की जाती है। उचित दर दुकानों (एफपीएस) को लाइसेंस जारी करने, उचित दर दुकानों के कामकाज का पर्यवेक्षण और निगरानी आदि सहित प्रचालन जिम्मेदारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की है। टीपीडीएस (नियंत्रण) आदेश, 2015 के खंड 9 के उप-खंड (7) के अनुसार, राज्य सरकार उचित दर दुकान के मालिक के मार्जिन के रूप में एक राशि तय करेगी, जिसकी समय-समय पर समीक्षा की जाएगी ताकि उचित दर दुकान के संचालन की निरंतर व्यवहार्यता सुनिश्चित की जा सके।

उचित दर दुकानों के डीलरों के मार्जिन/कमीशन/मानदेय आदि की वास्तविक दर निर्धारित करने में केंद्र सरकार की भूमिका सीमित है। केंद्र सरकार एनएफएसए के तहत खाद्यान्नों के अंतर-राज्यीय संचलन और हैंडलिंग तथा उचित दर दुकानों के डीलरों के मार्जिन पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए केवल खाद्य सुरक्षा (राज्य सरकारों को सहायता) नियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करती है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ व्यय के मानदंड और केंद्रीय हिस्सेदारी का पैटर्न भी शामिल है। उचित दर दुकानों की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए, एफपीएस डीलरों के मार्जिन के मानदंडों को अप्रैल 2022 से बढ़ा दिया गया है, जैसा कि नीचे दिए गए विवरण में बताया गया है:

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की श्रेणी	एफपीएस डीलरों के मार्जिन के घटक	पूर्व-संशोधित मानदंड (दर प्रति क्विंटल रुपये में)	संशोधित मानदंड (दर प्रति क्विंटल रुपये में)	केंद्रीय हिस्सा (प्रतिशत में)
सामान्य श्रेणी	मूल मार्जिन	70	90	50
	अतिरिक्त मार्जिन	17	21	
विशेष श्रेणी	मूल मार्जिन	143	180	75
	अतिरिक्त मार्जिन	17	26	

हालांकि, राज्य सरकारें वास्तविक दरें तय करने के लिए स्वतंत्र हैं, जो नियमों में निर्दिष्ट मानदंडों से अधिक हो सकती हैं। केंद्रीय सहायता, नियमों में निर्दिष्ट दरों या पूरे राज्य के लिए वास्तविक औसत दरों तक सीमित होगी, जिस पर राज्य सरकार द्वारा वास्तव में व्यय किया गया था, जो भी कम हो।

...3/-

(ग): सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि किसी भी वास्तविक लाभार्थी/परिवार को पात्र राशन कार्डों/लाभार्थियों की सूची से न हटाया जाए और केवल आधार संख्या न होने यानेटवर्क/कनेक्टिविटी/लिंकिंग मुद्दों या किसी अन्य तकनीकी कारणों आदि के कारण बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की विफलता के आधार पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत उनके पात्र खाद्यान्न के हिस्से से उन्हे वंचित न किया जाए।

(घ): टीपीडीएस (नियंत्रण) आदेश, 2015 के खंड 9 के उपखंड (9) के अनुसार, राज्य सरकार उचित दर दुकानों के प्रचालन की व्यवहार्यता में सुधार करने के लिए उचित दर दुकानों पर टीपीडीएस के तहत वितरित खाद्यान्नों के अलावा अन्य वस्तुओं की बिक्री की अनुमति देगी।

उचित दर दुकानों की वित्तीय व्यवहार्यता में सुधार करने हेतु, भारत सरकार ने सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से अनुरोध किया है कि वे उचित दर दुकानों के माध्यम से पहल करें, जैसे कि सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) सेवाएं प्रदान करना, बैंकों/कॉर्पोरेट बैंकिंग संवाददाताओं के साथ गठजोड़ के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं, भारतीय डाक भुगतान बैंक (आईपीपीबी) की बैंकिंग और नागरिक-केंद्रित सेवाएं, छोटे (5 किग्रा) एलपीजी सिलेंडरों की खुदरा बिक्री, अन्य वस्तुओं/सामान्य स्टोर वस्तुओं की बिक्री आदि।

इसके अलावा, 4 शहरों अर्थात हैदराबाद, गाजियाबाद, जयपुर और अहमदाबाद में 60 एफपीएस की व्यवहार्यता में सुधार के लिए एक जन पोषण केंद्र प्रायोगिक अध्ययन किया जा रहा है। भारत सरकार ने लाभार्थियों के पोषण संबंधी परिणामों में सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हुए एफपीएस डीलरों की वित्तीय व्यवहार्यता बढ़ाने के लिए यह पायलट अध्ययन किया है।"

*****